

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2016—पौष 7, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर, ई-अरेरा कालोनी, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2016
सूचना

क्र. 5780-वि.यो.-412-नग्रा.नि.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पाण्डुर्णा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 28 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति कार्यालयीन समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
2. जिला कलेक्टर, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश.
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, पाण्डुर्णा, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिंदवाड़ा में इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदीप यादव, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-3-118-2016-अठारह-5.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की अधिसूचना क्र. 5770-वियो-412-नग्रा.नि, दिनांक 22 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd December 2016

NOTICE

No. 5780-MPS-412-2016.—Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Pandhurna Planning Area has been published on 28th December 2016 in accordance with the provisions of sub-section (1) of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), a copy thereof is available, during office hours, for inspection at office of:—

1. Commissioner, Jabalpur Division, Jabalpur.
2. Collector, District, Chhindwara.
3. Chief Municipal Officer, Municipal Council, Pandhurna.
4. Deputy Director, Town and Country Planning, District Office Chhindwara.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, the same may be submitted in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Chhindwara, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration.

SANDEEP YADAV, Commissioner-cum-Director.